


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

छोटी देवी बनाम अर्जुनलाल वगै.
किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 9/2019

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 05.2026 | <p>पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है।</p> <p>प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 765, 771, 772, 773, 866, 868, 869, 870 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है।</p> <p>प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णाय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :-</p> <p>प्रथम दृष्टया मामला : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार संवत 2070-2073 अनुसार प्रश्नगत आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में साबित होता है।</p> <p>सुविधा का सन्तुलन : प्रार्थी द्वारा इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली में प्रश्नगत आराजी के संबंध में तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार प्रश्नगत आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में साबित होता है।</p> <p>अपूर्णाय क्षति : सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णाय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।</p> <p>निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णाय क्षति का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार</p> | |

पखण्ड अधिकारी
दौसा (राजग)

किया जाता है एवं ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 765, 771, 772, 773, 866, 868, 869, 870 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं उक्त भूमि के संबंध में किसी दस्तावेज का पंजीयन न करने हेतु उभय पक्ष (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5) को इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफ़ीता रहे।


उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)